न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 177/2018 दायरा दिनांक : 14.11.2018

उनवान

बसन्तीबाई बेवा रतनलाल, जाति माली, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— सत्यनारायण पुत्र सीताराम, जाति माली, निवासी भटवाडा,

2— रामदयाल पुत्र सीताराम, जाति माली, निवासी भटवाडा,

3— गीताबाई पुत्री सीताराम, जाति माली, निवासी भटवाडा,

4— मथुरीबाई बेवा सीताराम, जाति माली, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— जगन्नाथी बाई पुत्री गिरधारी पत्नी छोटूलाल, जाति माली, निवासी मांगरोल बाई पास रोड़ बाबजी नगर, बारां जिला बारां

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा

निर्णय **दिनांक : 07.11.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 12/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2018 (05.10.2018) से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खाते की खाता संख्या 337 ग्राम भटवाड़ा में खसरा नम्बर 87/1854 रकबा 1.18 हेक्टर आराजी दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा में खसरा नमबर 426 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 430/1592 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 0.54 हेक्टर आराजी दर्ज है। रतनलाल जो कि प्रार्थीगण के काका थे, लाऔलाद फौत हो चुके है, उसकी मृत्यु एक साल पूर्व ग्राम भटवाडा में प्रार्थी नं. 2 के घर पर हुई थी, तथा रतन लाल की मृत्यु के बाद समस्त परिवार ने और अप्रार्थी नं. 1 की इच्छा से रतन लाल जी की पगडी प्रार्थी नं. 2 रामदयाल के बांधी गई। स्वर्गीय रतनलाल की आराजी को प्रार्थी नं. 2 ही उनकी मौजूदगी में काश्त करने लगा था और आज भी काश्त कर रहा है। बसन्ती बाई रतनलाल के हिस्से की आराजी को बेचान करना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है क्योंकि रतनलाल

(मोहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की आराजी में समस्त प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है और जब तक आराजी का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक बसन्तीबाई आराजी को नहीं बेच सकती। अप्रार्थी नं. 1 बसंतीबाई को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह आराजी का बेचान न करें जब तक वादग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं हो जाता। यदि वादग्रस्त आराजी का बेचान हो गया तो प्रार्थीगण को क्षति होगी। इसी प्रकार खाता संख्या 337 ग्राम भटवाडा में खसरा नम्बर 87/1354 रकबा 1.18 हेक्टर एवं खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा की कुल 8 किता कुल रकबा 0.54 हेक्टर आराजी का बेचान, रहन आदि किसी व्यक्ति को न करें, ऐसा कोई कार्य स्वयं भी न करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल दावे के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खाता संख्या 337 व 338 वाके ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल को अप्रार्थिया नं. 1 बसन्ती बाई रहन, बेचान ना करें, रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे का आदेश पारित किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस से सहमत होकर आदेश दिया कि खाता संख्या 337 ग्राम भटवाडा में खसरा नम्बर 87/1854 रकबा 1.18 हेक्टर आराजी दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा में खसरा नमबर 426 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 430/1592 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 0.54 हेक्टर आराजी का आगामी आदेश तक रहन, बेचान नहीं करें, रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलांटा प्रार्थिया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त करती चली आ रही है। उक्त आदेश के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... कोटा

अंकनकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहत यदि प्रार्थिया अपीलांट को उसके खातेदारी की आराजी को काश्त एवं मुनाफा से जुपाने से रोक दिया गया तो प्रार्थिया अपने विधिक एवं सांपत्तिक अधिकारों से वंचित हो जावेगी। प्रार्थिया विधवा महिला है उसके पास आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना स्थगित रखा जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय की पालना ताफैसला अपील स्थगित फरमायी जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2018 को प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था, जो कि सर्वथा विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस से सहमत होकर आदेश दिया कि खाता संख्या 337 ग्राम भटवाडा में खसरा नम्बर 87/1854 रकबा 1.18 हेक्टर आराजी दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा में खसरा नम्बर 426 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 430/1592 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 0.54 हेक्टर आराजी का आगामी आदेश तक रहन, बेचान नहीं करें, रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने

★ कोटा ★

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील पेश की है। उक्त आराजी अपीलांट के मृतक पति रतनलाल जी के हिस्से व खातेदारी की आराजी है जो रतनलाल जी की मृत्यु उपरान्त अपीलांट को विरासतन उत्तराधिकारी होने पर प्राप्त हुई है। अपीलांट रेस्पोडेंट की चाची है। स्वर्गीय रतनलाल लाऔलाद फौते हुए थे। अपीलांट अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर शांतिपूर्ण ढंग से काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थिया विधवा महिला है उसके पास आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी है, उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलांट के भूखों मरने की नौबत आ जावेगी । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.10.2018 की अनुपालना स्थगित फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने शपथ पत्र ओम प्रकाश पुत्र रामनारायण, जाति माली, कालू लाल पुत्र मांगीलाल, जाति माली, रामकुंवार पुत्र नन्दलाल, जाति मेघवाल, हेमराज पुत्र किशनलाल, जाति मेघवाल, छीतरलाल पुत्र मथुरालाल, जाति माली, गोरधनलाल पुत्र भैरूलाल, जाति माली, भवानीशंकर पुत्र सुखदेव, जाति माली एवं अनरजिस्टर्ड पंचनामा ग्रामवासियान पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । जिसमें वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 337 खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 के संयुक्त खातेदारी की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर स्थगन आदेश जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध है। रतनलाल जो कि प्रार्थीगण के काका थे, लाऔलाद फौत हो चुके है, उसकी मृत्यु एक साल पूर्व ग्राम भटवाडा में प्रार्थी नं. 2 के घर पर हुई थी, वादग्रस्त आराजी उनकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बसन्ती बाई के हिस्से में आनी चाहिए।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज जैसे गोदनामा, गवाह, आदि पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का हिस्सा निहित हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 (05.10.2018) अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

टंकणकर्ता
शोध
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा